राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.8 (ग)(नियम)( )डीएलबी/2021/7212-7432 दिनांकः 7/4/22

उपनिदेशक (क्षेत्रीय)
स्थानीय निकाय विभाग
समस्त राजस्थान।
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं
समस्त राजस्थान।

विषयः– "4th State Broadband Committee" की बैठक के संबध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिंनाक 28.03.2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में " 4 th State Broadband Committee" के संबध में बैठक की गई। जिसमें शहरी विकास एंव आवासन विभाग द्वारा जारी policy दिंनाक 06.02.2017 के नियम 8(2) के दुसरे परन्तुक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार यदि नियम 5 में दिया गया आवेदन नोडल अधिकारी द्वारा 60 दिवस की अवधि में निस्तारित नही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन के संबध में अनुमोदन मान लिया जावेगा।

अतः उपरोक्त के संबध में निर्देशित किया जाता है कि यदि नोडल अधिकारी द्वारा 60 दिवस की अवधि में आवेदन को निस्तारित नही किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन के संबध में Deemed अनुमति मानी जायेगी।

(डॉ जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
शहरी विकास एंव आवासन विभाग

क्रमांकः प.8 (ग)(नियम)( )डीएलबी/21/7433-39 दिनांकः 7/4/22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास एवं आवासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव निदेशक एंव संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग जयपुर
6. प्रोग्रामर आई.टी.सेल को विभागीय साईट पर अपलोड कराने हेतु ।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी